अनुसूची 21—फार्म सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

4776

प्रमाण-पत्र संख्या 19.... आवेदन सं० 13E21 dt 06/11/2019

मृतक श्री Rana Satyendra Singh Alay late Nand Lal Singh & others

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संख्यानहारों और अवभारों का संनिदर्शन प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण है।)

इसलिये मैं, उपरोक्त द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संख्यानहारों और अवभारों के बारे में यही मैं और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में दर्ज 2005 Mutation dt 19 उक्त तारीख को मरने और ऐसी तारीख के बाद किन संख्यानहारों और अवभारों का पता चला As per index II हुए पाया है अतः संपत्ति अवभार से मुक्त है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के पृ० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	खितर	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Sikandarpur Plot No - 304, 307, 311 & 312 Khata No - 129 & 147 Thana No - 17 Plot Area - 49.338 decimal. Distt - Patna.							

Scanned by CamScanner

के अनुसार विवरण दर्ज करें।

पर की दिनांक भाग की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यदि की उपरि स्तर में उल्लेख हो।

पहले की अवधि और वार्षिक मासान दर्ज करें।

यह उपयोगिता करता है कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ कर संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर)

(पदनाम): UDC

तलाशी का साक्षात्कार और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Shailesh

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 6/11/19

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (बिहार) 11/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्कंबरेन्सेस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुक्रमणिकाएँ (इन्डेक्स) की प्रतियाँ [illegible] तलाशी के बाद उपरोक्त संपत्ति के अवभारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। निर्धारित राशि का भुगतान करने पर प्रतियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 3674 दिनांक 8/11/19

आवेदक श्री Rana Satyendra Singh Ajay & others

का आवभार प्रमाण-पत्र द्वारा LIC housing Finance Ltd. Frazer Road Patna

का उनके पत्र संख्या — दिनांक 04/11/19 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
8/11/19

SPL-165/98-2,00,000

Scanned by CamScanner